राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–190 / 2025 दायर दिनांक :–16.12.2025

जीसीएमएस नं.–2025 / 190 निर्णय दिनांक :–04.02.2025

श्री सरकार भूमिधारी तहसीलदार, तहसील डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश पिता करमा
2. श्रीमति शांता पत्नि रमेश जाति भील,

निवासीयान– भण्डारिया तहसील व जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थिति :–

1. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीदार, डूंगरपुर, प्रार्थी
2. श्री संजीव भटनागर, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4)
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि डूंगरपुर मौझा चक भण्डारिया के पुराना खसरा नम्बर 22 एवं नया 23 में से रकबा 0.25 है० भूमि विपक्षीगण के नाम से उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी के आदेश क्रमांकः राजस्व / आवटन / 1127–29 दिनांक 13.04.2023 से आवंटित हुई थी। जिसका मिसल नं. 440 / 2018 है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन हये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी आवंटन शर्तों की पालना नहीं कि गई एवं न ही मौके पर आदिनांक कब्जा काश्त नहीं किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन नियम 14 (3) का रपष्ट रूप से उल्लघन किया गया है। अतः जरिये राजस्व / आवटन / 1127–29 दिनांक 13.04.2023 से आवटित की गई भूमि को निरस्त करने हेतु पर्चा मौका राजस्व रिकॉर्ड के साथ आवटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत् प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि आवंटन की समस्त शर्तों की पालना उत्तरदाता द्वारा की गई है। प्रार्थना पत्र में आंवटन की कोनसी शर्त की पालना नहीं की गई का कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। आवंटित भूमि के पास की कृषि भूमि उत्तरदाता के खाते एवं कब्जे की है जिस भूमि व आवंटित की गई भूमि पर उत्तरदाता का आवंटन के पुर्व से पुराना कब्जा होकर भूमि के चारो तरफ थुअर की बाड की हुई है तथा प्रतिवर्ष उडद, मक्का व हामली की फसल लेकर भूमि पर काशत कर अपनी आजिविका अर्जित कर रहे है। उत्तरदाता पति पत्नी है तथा गरीब, अनपढ आदिवासी है जिनका मजदूरी व खेती के अलावा अन्य कोई आय का जरिया नहीं है अगर भूमि के आंवटन को निरस्त किया गया तो उत्तरदाता व उसके परिवार को ऐसी अपुर्णिय क्षति होगी जिसकी पुर्ति सम्भव नहीं होगी। यह प्रार्थना पत्र अन्य लोगो से साठ गांठ कर आवंटन को निरस्त करवा भूमि को अन्य लोग को आवंटन करने की मंशा से गलत व झुठे तथ्यो पर पेश किया गया है। उत्तरदाता ने आवंटन की शर्तों एवं आवंटन के नियम 14 (3) के प्रावधान का उल्लघंन नहीं किया है।

जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

उभयपक्षो की बहस सुनायत की गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को आवंटन के पुर्व से पुराना कब्जा होकर भूमि के चारो तरफ थुअर की बाड की हुई है तथा प्रतिवर्ष उडद, मक्का व हामली की फसल लेकर भूमि पर काशत कर अपनी आजिविका अर्जित कर रहे है। अतः भूमि आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। राजकीय पेरोकार तहसीलदार डूंगरपर ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए विपक्षीगण को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी आवंटन शर्तो की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर आदिनांक कब्जा काश्त नही किया जाने तथा आवंटन निरस्त किये जाने का कथन किया।

मेरे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि भूमिधारी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर विपक्षी को आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी आवंटन शर्तो की पालना नही की गई एवं न ही मौके पर कब्जा, काश्त नही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटी विपक्षी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लघन करना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/2018/1127–29 दिनांक 13.04.2023 में विपक्षीगण को मिसल नं. 440/2018 मौझा चक भण्डारिया के पुराना खसरा नं. 22 एवं नया 23 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि रकबा 0.25 हैक्टर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी/भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)